तार का पता : "मिनीस्टील"
Telegraphic Address : "MINISTEEL"

सं0 ________________

No. ________________

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
31016/2/2008 इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107
New Delhi-110107

दिाकं 14/5/2008

सेवा में,

संलग सूची के आुसार

विषय:-इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2008-09 कीट -नियन्त्रण (पेस्ट कन्ट्रोल) का छिडकाव हेतु निविदाये मंगाने के सम्बध में ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य को कराने की इच्छुक है । तो निविदाए दिनाकं 26.5.2008 को सुबह 11.00 बजे तक कक्ष सं. 74, उद्योग भवन में भेजी जा सकती है । प्राप्त निविदाओं कों उसी दिन सुबह 11.30 बजे आवेदक फर्मो के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाऐगा । निविदा के साथ 10000 रूपये का बैक ड्राफट (वेतन एंव लेखा अधिकारी के नाम देय) भी अवश्य सलंग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जएगा ।

2 इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्रधिकरी के पास बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

3 निविदा से संबंधित शर्ते सलंग्न है।

शर्तें:-

1. कीटनाशी, दीमकनाशी, कॉकरोचनाशी आदि का छिड़काव कक्षों, गलियारों एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों जैसे इस्पात मंत्री के निवास कार्यालय आदि के लिए होगा ।
2. अनुबन्धकर्ता फर्म को कीटनाशी छिड़काव से सम्बन्धित सभी मशीनें एवं सामग्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में, प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओं/ पदार्थों के नामों का उल्लेख करना होगा ।
3. यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रों को कीट,दीमक आदि से मुक्त रखें इसके लिए वह प्रशिक्षित कर्मी रखें किसी भी प्रकार की परिवहन लागत को मंत्रालय द्वारा वहन नहीं किया जाएगा ।
4. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो किसी भी समय कार्य किसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है । इसका उत्तरदायित्व अनुबन्धित फर्म का होगा ।
5. फर्म को जमानत राशि के रूप में 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तों का उल्लघंन करने पर इसका हर्जाना फर्म को भरना होगा ।
6. सक्षम प्रधिकारी को किसी भी समय अनुबन्ध को बिना कारण बताए समाप्त करने सम्बन्धी समस्त अधिकार प्राप्त है ।
7. सेवा कर /बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी ।
8. अनुबन्ध की अवधि फर्म को अनुबंन्ध पत्र देने की तारीख से अगले एक वर्ष के लिए होगी ।
9. कार्य सम्पादन के बाद बिल(तीन प्रतियों में) कार्य संतोषजनक होने के प्रमाणपत्र (सम्बिन्धित अधिकारी द्वारा) सहित प्रस्तुत करना होगा । इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा ।